Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **अजमेर में पेंशन विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में छापा**
- **वैध आय से करीब 450 प्रतिशत अधिक की चल–अचल सम्पत्ति के मिले दस्तावेज एवं सबूत**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 मई, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अजमेर इकाई एवं मुख्यालय स्थित इन्टेलिजेन्स शाखा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सूत्र–सूचना पर दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में ए.सी.बी. अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **दौलत सिंह दायमा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपनिदेशक वित्त, पेंशन विभाग, अजमेर** के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जिसमें आरोपी अधिकारी द्वारा अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से करीब 450 प्रतिशत अधिक की सम्पत्ति के दस्तावेज एवं सबूत मिले है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को मिली सूत्र–सूचना सूत्र–सूचना प्राप्त हुई कि दौलत सिंह दायमा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपनिदेशक वित्त, पेंशन विभाग, अजमेर द्वारा भ्रष्टाचार के द्वारा अपनी वैध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर रखी है। जिस पर सूत्र सूचना को ए.सी.बी. अजमेर इकाई द्वारा मुख्यालय स्थित इन्टेलिजेंस शाखा के सहयोग से सत्यापित किया जाकर आरोपी अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

आज एसीबी, अजमेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के नेतृत्व में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश वर्मा** एवं उनकी टीम द्वारा न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर दौलत सिंह दायमा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद दायमा निवासी प्लॉट नं0 418, बी.के. कॉल नगर, जय अम्बे विहार कॉलोनी, अजमेर हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपनिदेशक वित्त, पेंशन विभाग, अजमेर के निवास एवं कार्यालय में छापा मार कर तलाशी ली गई। तलाशी में मकान से **3.30 लाख रुपये नगद, लगभग 100 ग्राम सोने के आभूषण, 850 ग्राम चांदी के आभूषण, 10 बैंक खातों के दस्तावेज, दो बैंक लॉकर, 15 आवासीय प्लॉटों एवं व्यावसायिक दुकानों के दस्तावेज** सहित करोड़ों रुपये मूल्य के चल अचल सम्पत्ति के दस्तावेज एवं सबूत मिले हैं।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।